सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर
मुख्यालय-जयपुर

कैलाशचन्द / ल दिवा व अन्य
टी. आर. 12/2020

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	12/05/22	प्रार्थी की उपस्थिति एवं अपेक्षित कार्यवाही प्रस्तुत नहीं होने पर आदेश 9 नियम 5 व प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही आगे के लिये जावेगी। पत्रावली दिनांक 31/05/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर
	31/05/22	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी एवं अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रार्थी व प्रार्थी अधिवक्ता को शाम 5:00 बजे तक बार बार आवाज लगवाई गई। बार बार आवाज लगवाने के उपरान्त भी प्रार्थी एवं अधिवक्ता अनुपस्थित रहा। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली आदेश दिनांक 05/01/22 की पालनार्थ तलबी। तलबी नोटिस प्राप्ति पश्चात हेतु नियत है। जिसके सन्दर्भ में 17 माह की अवधि हो जाने के उपरान्त भी कार्यवाही प्रस्तुत नहीं की गई। इस वाकात प्रार्थी को निरन्तर अवसर भी दिए जाते रहे फिर भी आदेश की पालना प्रस्तुत नहीं की गई। जिसके क्रम में गत निरन्तर तारीख पेशी में से प्रार्थी एवं अधिवक्ता अनुपस्थित रहते हुए आज भी अनुपस्थित है। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रार्थी स्वयं के ही प्रस्तुत प्रकरण / प्रा. पत्र के प्रति अब इच्छुक नहीं है। [illegible] से न्यायालय आदेश की पालना [illegible] प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः [illegible] संविधान के अन्तर्गत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रकरण शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। बाद वकालत दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) आमेर मुख्यालय-जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Aprana Sharma
Date: 2022.07.27 11:41:12 IST
Reason: SelfAttested